अनुदान संख्या 1 – कृषि और सहकारिता विभाग
GRANT No. 1–DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	4331,90,00		4331,98,00	3965,73,24	–366,24,76
पूरक	Supplementary	8,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					343,26,05
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*175,13,00*	*166,55,16*	*–8,57,84*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*8,57,83*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	82,80,00		104,99,00	91,26,93	–13,72,07
पूरक	Supplementary	22,19,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,06,69

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3792.00	3481.79	3182.75	–299.04
पु.	R.	–310.21			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2070'' अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	828.00	692.32	684.07	–8.25
पु.	R.	–135.68			
मुख्य शीर्ष "2401'' फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry				
मू.	O.	244523.00	265295.58	264289.30	–1006.28
पू.	S.	4.00			
पु.	R.	20768.58			
मुख्य शीर्ष "2402'' मृदा तथा जल संरक्षण	Major Head "2402" Soil and Water Conservation				
मू.	O.	935.00	1450.90	1413.89	–37.01
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	513.90			
मुख्य शीर्ष "2425'' सहकारिता	Major Head "2425" Co-operation				
मू.	O.	10550.00	10041.00	9635.50	–405.50
पु.	R.	–509.00			
मुख्य शीर्ष "2435'' अन्य कृषि कार्यक्रम	Major Head "2435" Other Agricultural Programmes				
मू.	O.	18337.00	14065.79	13733.83	–331.96
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–4273.21			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	38389.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–38389.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	114887.00	103778.72	103568.05	–210.67
पु.	R.	–11108.28			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	949.00	65.85	65.85	. .
पु.	R.	–883.15			

(I) 71422.40 लाख रु. का प्रावधान (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए एक शीर्ष के अंतर्गत 0.20 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) इकत्तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 70460.20 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(क) 'बीज''-

(i) 'बीज बैंक की स्थापना और अनुरक्षण'' - 730.00 लाख रु. और

(ii) 'राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र' - 291.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.71422.40 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.20 lakh under one head obtained in March, 2006) remained wholly unutilised under thirty one heads; of these Rs.70460.20 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2401"-

(a) "Seeds"-

(i) "Establishment and maintenance of Seed Bank" – Rs.730.00 lakhs; and

(ii) "National Seeds Research and Training Centre" – Rs.291.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान इस स्कीम को पुनर्गठित स्कीम 'बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण में शामिल कर लिए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''पुनर्गठन के लिए एसएफसीआई/एनएससी को अनुदान'' - 3800.00 लाख रु. व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ख) 'वाणिज्यिक फसलें -

(i) ''पूर्वी भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में जल प्रबंधन'' - 2250.00 लाख रु. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण थे।

(ii) ''शुष्क भूमि/वर्षा आधारित कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन को बढ़ावा देना'' - 500.20 लाख रु. (मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 0.20 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ग) ''कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भूमि आधारित प्रेक्षण के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान'' - 300.00 लाख रु. व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(घ) ''बागवानी और वनस्पति फसलें-

(i) ''जनजातीय/पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी का एकीकृत विकास'' - 1500.00 लाख रु. स्कीम को शामिल किए जाने के कारण थे।

(ii) ''बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन'' - 3000.00 लाख रु. व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(ङ) ''अन्य व्यय - कृषि संसाधन सूचना प्रणाली - 200.00 लाख रु. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा परियोजना प्रबंधन योजना को अंतिम रूप न दिए जाने और संबंधित

Provisions under the above two heads remained unutilised due to the Scheme was Sub-summed in restructured Scheme "Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds".

(iii) "Grants to SFCI/NSC for restructuring" – Rs.3800.00 lakhs - due to non-approval of the Scheme by the Expenditure Finance Committee.

(b) "Commercial Crops" –

(i) "On Farm Water Management for increasing production in Eastern India" - Rs.2250.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year with National Agricultural Bank for Rural Development.

(ii) "Enhancing Sustainability of Dry Land/ Rainfed Farming System" – Rs.500.20 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.20 lakh obtained in March, 2006) - due to non-approval of the Scheme.

(c) "Agricultural Economic and Statistics – Forecasting Agricultural output using Space Agro Meterology and Land Based Observation" – Rs.300.00 lakhs - due to non-approval of the Scheme by the Expenditure Finance Committee.

(d) "Horticulture and Vegetable Crops"-

(i) "Integrated Development of Horticulture in Tribal/Hilly Areas"- Rs.1500.00 lakhs - due to the scheme was sub-summed.

(ii) "National Mission on Bamboo Technology and Trade Development" – Rs.3000.00 lakhs - due to non-approval of the Scheme by the Expenditure Finance Committee.

(e) "Other Expenditure – Agriculture Resources Information System (AGRIS)" – Rs.200.00 lakhs - due to non-finalisation of project management plan

राज्य/जिलों द्वारा स्थल को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण थे।

by National Informatics Centre and delay in site finalisation by States/Districts concerned.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' - 38389.00 लाख रु. आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim"- Rs.38389.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - शुष्क भूमि/वर्षा आधारित कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन को बढ़ावा देना'' - 19500.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Crop Husbandry-Commercial Crops – Enhancing sustainability of Dry Land/Rainfed Farming System" – Rs.19500.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कृषि और सहकारिता विभाग'' के अंतर्गत 584.63 लाख रु. की बचत (3590.34 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat - Department of Agriculture and Co-operation" - saving of Rs. 584.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3590.34 lakhs) was due to non-filling of vacant posts and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय - कीट प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण - कीटनाशक अधिनियम का परिपालन'' के अंतर्गत 102.34 लाख रु. की बचत (307.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए केंद्र न खोले जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2070" - "Other Expenditure - Strengthening and Modernisation of pest management approach - Implementation of Insecticides Act" - saving of Rs.102.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.307.00 lakhs) was due to non-opening of new stations.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2401'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2401" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''बीज - पादप वैविध्य संरक्षण विधान का परिपालन'' - 496.30 लाख रु. की बचत (910.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पादप वैविध्य संरक्षण प्राधिकरण के देर से कार्य किए जाने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(A) "Seeds – Implementation of PVP Legislation" – saving of Rs.496.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.910.00 lakhs) was due to late functioning of Plant Variety Protection Authority and availability of unspent balance of previous year with the implementing agencies.

(खा) ''खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 942.58 लाख रु. की बचत (2370.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने और साथ ही स्कीम को कार्यान्वयन

(B) "Manures and Fertilizers – National Project on Promotion of Organic Farming" – saving of Rs.942.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2370.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, availability of unspent balance of previous year with the implementing

अभिकरणों के स्थान पर राज्यों के माध्यम से लागू किए जाने का निर्णय लिए जाने के कारण हुई।

agencies and also owing to the decision for implementing the Scheme through States instead of implementing agencies.

(गा) 'वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय' - 722.21 लाख रु. की बचत (4610.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नया पौध संगरोध केंद्र और नए एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र न खोले जाने की वजह से अवसंरचना सृजित न किए जाने, रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(C) "Plant Protection – Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage" – saving of Rs.722.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4610.00 lakhs) was due to non-creation of infrastructure owing to non-opening of new Plan Quarantine Station and new Integrated Pest Management Centres, non-filling up of vacant posts and economy measures.

(घा) 'विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण - डीओई के केंद्रीय संस्थान को विस्तार सहायता' - 431.55 लाख रु. की बचत (1541.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम फिल्म निर्माण किए जाने, कम प्रस्तावों के प्राप्त होने, रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(D) "Extension and Farmers Training – Extension support of Central Institute of DOE" – saving of Rs.431.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1541.00 lakhs) was due to less production of Film, receipt of less proposals, non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ङ) 'कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी' -

(क) 'कृषि जनगणना' - 102.10 लाख रु. की बचत (285.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) 'फसल कृषि कर्म का पूर्वानुमान और दूर संवेदी अनुप्रयोग' - 219.15 लाख रु. की बचत (543.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(E) "Agricultural Economics and Statistics" –

(a) "Agricultural Census"- saving of Rs.102.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.285.00 lakhs); and

(b) "Forecasting and Remote Sensing Application of Crops Husbandry"- saving of Rs.219.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.543.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध रहने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous years with the implementing agencies and economy measures.

(चा) 'बागवानी और वनस्पति फसलें - लघु सिंचाई - 6953.86 लाख रु. की बचत (35000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)स्कीम को व्यय वित्त समिति द्वारा देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(F) "Horticulture and Vegetable Crops - Micro Irrigation" – saving of Rs.6953.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.35000.00 lakhs) was due to late approval of the scheme by the Expenditure Finance Committee.

(छा) ''अन्य व्यय'' -

(क) 'कार्य योजना (वृहत प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण' - 2526.65 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

(G) "Other Expenditure" –

(a) "Supplementation/Complementation of States efforts through Work Plan (Macro-Management)"- saving of Rs.2526.65 lakhs (against the sanctioned provision of

की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) ''कृषि निदान गृह/कृषि व्यापार केंद्रों की स्थापना - 500.00 लाख रु. की बचत (925.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2425'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''अन्य सहकारिताओं को सहायता - सहकारिता के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता - 500.00 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से राज्यों/समितियों द्वारा प्रतिपूर्ति संबंधी कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''सहकारी शिक्षा - शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्गठित स्कीम'' - 114.50 लाख रु. की बचत (6750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) देश के विभिन्न भागों में कनिष्ठ सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों को काम की समाप्ति पर सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम की वजह से कुल व्यय के पचास प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''2435'' - ''विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''श्रेणीकरण और गुणवत्ता सुविधाएं - एगमार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 172.76 लाख रु. की बचत (1182.02 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - विपणन, बाजार अवसंरचना का विकास, श्रेणीकरण और विपणन मानकीकरण'' - 6672.86 लाख रु. की बचत (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

Rs.3500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/non-finalisation of proposals.

(b) "Establishment of Agriculture Clinic/ Agricultural Business Centres"- saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.925.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and availability of unspent balance with the implementing agencies.

(V) Under Major Head "2425" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Other Co-operatives – Assistance to NCDC for Development of Co-operative" – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for re-imbursement by States/Societies from National Co-operative Development Corporation.

(B) "Co-operative Education – Restructured Scheme of Education and Training" – saving of Rs.114.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6750.00 lakhs) was due to re-imbursement of total expenditure upto fifty percent owing to the scheme being back-ended assistance to Junior Co-operative Training Centres in different parts of the country.

(VI) Under Major Head "2435"- "Marketing and Quality Control"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Grading and Quality Facilities – Strengthening of Agmark Grading Facilities" – saving of Rs.172.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1182.02 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(B) "Other Expenditure – Marketing, Development of Market Infrastructure, Grading and Marketing Standardisation" – saving of Rs.6672.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs) was due to late approval of the scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) 'केद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान' -

(क) ''फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कृषि के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का संवर्धन/सुदृढ़ीकरण' - 363.40 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों को प्रशिक्षण-केंद्रीय संस्थानों/डीओई को विस्तार सहायता' - 300.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''फसल कृषि कर्म - वाणिज्यिक फसलें - गहन कपास विकास कार्यक्रम और कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन- 253.24 लाख रु. की बचत (4425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''फसल कृषि कर्म - कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी - कृषि सांख्यिकी का सुधार' - 144.34 लाख रु. की बचत (2286.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

(ग) ''फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों को प्रशिक्षण राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता' - 2022.00 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों और साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से लागू किए जाने के लिए स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3601"-savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes"-

(a) "Crop Husbandry – Other Grants – Promotion/Strengthening of IT in Agriculture" – saving of Rs.363.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(b) "Crop Husbandry – Extension and Farmers Training – Extension Support to Central Institutes/DOE" – saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to less requirement of funds.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "Crop Husbandry – Commercial Crops – Intensive Cotton Development Programme and Technology Mission on Cotton" – saving of Rs.253.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4425.00 lakhs); and

(b) "Crop Husbandry – Agricultural Economics and Statistics – Improvement of Agricultural Statistics" – saving of Rs.144.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2286.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous years with the State Governments.

(c) "Crop Husbandry – Extension and Farmers Training – Support to State Extension Services" – saving of Rs.2022.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to approval of the scheme for implementation through implementing agencies as well as States/ UT Governments by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(VIII) मुख्य शीर्ष ''3602'' - 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कार्य योजना (वृहद प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण'' - 152.00 लाख रु. की बचत (160.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(खा) ''फसल कृषि कर्म - विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण-राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता' - 668.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों और साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(IX) छह शीर्षों के अंतर्गत 471.07 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (48999.66 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005 दिसम्बर, 2005 और मार्च, 2006 में 8.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) 'मुख्य शीर्ष ''2401'' -

(क) 'बीज'' -

(i) 'बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण' - 2193.22 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2170.01 लाख रु. था।

(VIII) Under Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry – Other Grants – Supplementation/Complementation of States efforts through work Plan (Macro Management)" – saving of Rs.152.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.160.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with the Union Territory Governments.

(B) "Crop Husbandry – Extension and Farmers Training – Support to State Extension Services" – saving of Rs.668.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to approval of the scheme for implementation through implementing agencies as well as States/Union Territory Governments by the Cabinet Committee on Economic Affairs and availability of unspent balance of previous year with the Union Territory Governments.

(IX) Under six heads savings of Rs.471.07 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 89 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.48999.66 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.8.00 lakhs in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 under the following major heads:-

(A) Major Head "2401"-

(a) "Seeds" –

(i) "Development and Strengthening of Seed Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Seeds" – Rs.2193.22 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2170.01 lakhs.

(ii) ''भारतीय राज्य खेत निगम को सहायता अनुदान'' - 999.00 लाख रु.।

(ख) ''विस्तार और कृषकों का प्रशिक्षण'' -

(i) ''राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना'' - 71.02 लाख रु.।

(ii) ''कृषि विस्तार को जन प्रचार माध्यमों का समर्थन'' - 3670.80 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3670.60 लाख रु. था।

(iii) ''राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता'' - 2985.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2894.14 लाख रु. था।

(ग) ''फसल बीमा - राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जीआईसी/एआईसी को अदायगी'' - 20055.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 20054.80 लाख रु. था।

(घ) ''तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन/तेल पाम/दालें और मक्का विकास'' - 116.12 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 115.12 लाख रु. था।

(ङ) ''बागवानी और वनस्पति फसलें'' -

(i) ''नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड को सहायता अनुदान'' - 1500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1499.75 लाख रु. था।

(ii) ''पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल में बागवानी के एकीकृत विकास से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन'' - 14759.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 14739.01 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2402'' - ''अन्य व्यय - कार्य योजना (वृहद प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण'' - 500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 499.00 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2435'' - ''विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण - अन्य व्यय - ग्रामीण गोदामों का निर्माण'' -

(ii) "Grants-in-aid to State Farms Corporation of India" – Rs.999.00 lakhs.

(b) "Extension and Farmers Training"-

(i) "National Agriculture Technical Project" - Rs.71.02 lakhs.

(ii) "Mass Media Support to Agricultural Extension" – Rs.3670.80 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3670.60 lakhs.

(iii) "Support to State Extension Services" – Rs.2985.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2894.14 lakhs.

(c) "Crop Insurance – Payment to GIC/AIC for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS)" – Rs.20055.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.20054.80 lakhs.

(d) "Development of Oil Seeds – Integrated Oilseeds/Oil Palm/Pulses and Maize Development" - Rs.116.12 lakhs. Actual excess, however, was Rs.115.72 lakhs.

(e) "Horticulture and Vegetable Crops"-

(i) "Grants-in-aid to Coconut Development Board including Technology Mission on Coconut" – Rs.1500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1499.75 lakhs.

(ii) "Technology Mission on Integrated Development of Horticulture in North Eastern States, Sikkim, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal" – Rs.14759.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.14739.01 lakhs.

(B) Major Head "2402" – "Other Expenditure – Supplementation / Complementation of States Efforts through Work Plan (Macro Management)" - Rs.500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.499.00 lakhs.

(C) Major Head "2435" – "Marketing and Quality Control – Other Expenditure –

2150.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2145.36 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401'' - ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - खाद्य और कृषि संगठन' - 109.20 लाख रु. का अधिक व्यय (670.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाद्य और कृषि संगठन को भारत सरकार के अंशदान की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' -

(क) 'केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान' -

(i) 'फसल कृषि कर्म - खाद और उर्वरक - कार्बनिक खेती के संवर्धन पर राष्ट्रीय परियोजना' - 570.49 लाख रु. का अधिक व्यय (15.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और साथ ही स्कीमों को कार्यान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्यों के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय के कारण हुआ।

(ii) 'फसल कृषि कर्म - वनस्पति संरक्षण - देश में कीट प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण- 147.10 लाख रु. का अधिक व्यय (90.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कीटनाशकों के लिए गुणवत्ता आश्वासन को बेहतर बनाने की वजह से राज्य सरकारों द्वारा अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(iii) 'फसल कृषि कर्म - बीज - बीजों के उत्पादन और वितरण संबंधी बीज सूचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण'' - 1349.57 लाख रु. का अधिक व्यय (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को

Construction of Rural Godowns" – Rs.2150.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2145.36 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2401"- "International Co-operation – Food and Agricultural Organisation"– excess of Rs.109.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.670.00 lakhs) was due to payment of Government of India's contribution to Food and Agricultural Organisation.

(B) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Central Plan Schemes" –

(i) "Crop Husbandry – Manures and Fertilizers – National Project on Promotion of Organic Farming" – excess of Rs.570.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also owing to the decision for implementing the schemes through States instead of implementing agencies.

(ii) "Crop Husbandry – Plant Protection – Strengthening and Modernisation of Pest Management Approach in the Country" – excess of Rs.147.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.90.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of more funds by the State Governments owing to improvement of quality of pesticides.

(iii) "Crops Husbandry - Seeds – Development and Strengthening of Seed Information Facilities for Production and Distribution of Seeds" – excess of Rs.1349.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of

किए जाने और शामिल की गई स्कीम की प्रगति की वजह से राज्यों से अधिक मांग होने के कारण हुआ।

(ख) 'केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान' -

(i) 'फसल कृषि कर्म - अन्य अनुदान - कार्य योजना (वृहद प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण' - 5934.77 लाख रु. का अधिक व्यय (59607.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) 'फसल कृषि कर्म - तिलहनों का विकास - एकीकृत तिलहन, तेल पाम, दालें और मक्का विकास - 3339.00 लाख रु. का अधिक व्यय (17875.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने और निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 272.42 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 39 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

North Eastern Region and Sikkim and more demand from States on account of progress of the subsumed scheme.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(i) "Crop Husbandry- Other Grants – Supplimentation/Complimentation of States Efforts through Work Plan (Macro Management)" – excess of Rs.5934.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.59607.00 lakhs); and

(ii) "Crop Husbandry – Development of Oil Seeds-Integrated Oil Seeds, Oil Palm, Pulses and Maize Development" – excess of Rs.3339.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17875.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to additional requirement of funds for giving greater thrust under the programme and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under three heads excess of Rs.272.42 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 39 percent of the sanctioned provision.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	*O.*	*2611.00*	. .	. .	. .
पु.	*R.*	*–2611.00*			

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''7601''	Major Head "7601"				
राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम	*Loans and Advances to State Governments*				
मू.	*O.*	*14902.00*	*16655.17*	*16655.16*	*–0.01*
पु.	*R.*	*1753.17*			

(I) 2611*.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान के अंतर्गत आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation of Rs.2611.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Other Expenditure – Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''7601'' - *''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए कर्ज - फसलकृषि कर्म - अन्य कर्ज - कार्य योजना (वृहद प्रबंधन) के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का संपूरण/अनुपूरण''* के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - *1753.16 लाख रु.* का अधिक व्यय (*14902.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "7601" –"*Loans for Centrally Sponsored Plan Schemes - Crop Husbandry - Other Loans - Supplementation/ Complementation of States efforts through Work Plan (Macro Management*)" – excess of *Rs.1753.16 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.14902.00 lakhs*) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1372.07 लाख रु.) अगस्त, 2005, दिसम्बर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 2219.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 62 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.1372.07 lakhs) constituted 62 percent of the supplementary grants of Rs.2219.00 lakhs obtained in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 and 13 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4401" फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4401" Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	1095.00			
पू.	S.	2.00	929.55	704.93	–224.62
पु.	R.	–167.45			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	800.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–800.00			
मुख्य शीर्ष "6401" फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज	Major Head "6401" Loans for Crop Husbandry				
मू.	O.	600.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–600.00			
मुख्य शीर्ष "6402" मृदा और जल संरक्षण के लिए कर्ज	Major Head "6402" Loans for Soil and Water Conservation				
पू.	S.	1.00			
			501.00	500.00	–1.00
पु.	R.	500.00			

(I) 1587.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1400.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.1587.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under nine heads; of these Rs.1400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीम के लिए प्रावधान' - 800.00 लाख रु. आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/ स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552"-"Other Expenditure-Provision for Project/Scheme for the benefit of North Eastern States including Sikkim"-Rs.800.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष ''6401'' - 'सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज' -

(क) 'भारतीय राज्य खेत निगम' - 370.00 लाख रु.; और

(ख) 'राष्ट्रीय बीज निगम' - 230.00 लाख रु.।

(B) Major Head "6401"- "Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(a) "State Farm Corporation of India"- Rs.370.00 lakhs; and

(b) "National Seeds Corporation" – Rs.230.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from the implementing agencies.

(II) मुख्य शीर्ष ''4401'' - 'वनस्पति संरक्षण - वनस्पति संगरोध सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के अंतर्गत 274.74 लाख रु. की बचत (340.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए केन्द्रों की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4401" – "Plant Protection - Strengthening and Modernisation of Plant Quarantine Facilities" – saving of Rs.274.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.340.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for setting up of new centres.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.72 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of Rs.60.72 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (682.08 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4401'' - 'कृषि इंजीनियरी - फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान की स्थापना- 182.08 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 137.95 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''6402'' - ''अन्य कर्ज - दामोदर घाटी निगम को कर्ज' - 500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 499.00 लाख रु. था।

6. The above savings were partly (Rs.682.08 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.3.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "4401" - "Agricultural Engineering-Establishment of Farm Machinery Training and Testing Institute"- Rs.182.08 lakhs. Actual excess, however, was Rs.137.95 lakhs.

(B) Major Head "6402"- "Other Loans – Loan to Damodar Valley Corporation" - Rs.500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.499.00 lakhs.